राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 745/2009
सुरेन्द्र सिंह यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान।
4. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, नीमराणा, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.06.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नमो नारायण शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर बी.ई.ओ. पंचायत समिति, नीमराणा, जिला अलवर के आदेश दिनांक 07.05.1996 (अनुलग्नक–1) के द्वारा दी गई थी, जिस पद पर अपीलार्थी ने दिनांक 08.05.1996 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति राज्य मृतक कर्मचारी के आश्रितों के रूप में हुई थी। अपीलार्थी नियुक्ति के समय प्रशिक्षित नहीं था। नियुक्ति आदेश के अनुसार अपीलार्थी को प्रशिक्षण कार्य पूरा करना था। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा सीनियर सेकेंडरी और बीएसटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा दिनांक 08.05.2006 से वेतन श्रृंखला 5000–8000 पर प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन रहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16.03.2009 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 22.11.2007 को पुनः प्रत्याहरित कर लिया गया। अपीलार्थी द्वारा

बीएसटीसी (द्वितीय वर्ष) दिनांक 12.10.2009 को उत्तीर्ण की गई। उसी दिनांक से अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना प्रत्यर्थी विभाग ने माना है, जबकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही नियमित कर्मचारी था।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित श्रेणी में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में आदेश दिनांक 07.05.1996 से हुई थी। उक्त आदेश में इस शर्त का अंकन किया गया था कि अपीलार्थी को तीन वर्ष में अपने स्वयं के खर्चे से प्रशिक्षण प्राप्त करना था। प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। प्रशिक्षण प्राप्त न करने तक न्यूनतम वेतन एवं निर्धारित भत्ते ही नियमानुसार देय होंगे। अपीलार्थी द्वारा बीएसटीसी (द्वितीय वर्ष) दिनांक 12.10.2009 को उत्तीर्ण की गई। अतः चयनित वेतनमान की गणना उपरोक्त 12.10.2009 से की जाकर दिनांक 22.11.2007 के आदेश को प्रत्याहरित किया गया था।

3. हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को बी.एस.टी. सी. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर अपीलार्थी ने वर्ष 2009 में प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू एल.सी. 2003 गू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू, एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य यनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.03.2009 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान

का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 16.03.2009 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)